शिप्रा किनारे अंगारेश्वर मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री करेंगे घाट का भूमि पूजन

नमामि क्षीप्रे परियोजना के तहत होगा कार्यक्रम, कलेक्टर समेत जनप्रतिनिधियों ने देखी व्यवस्था

नव भारत न्यूज

उज्जैन. महाकुंभ 2028 के मद्देनजर 30 करोड़ से अधिक आगन्तुकों और साधु संतों के स्नान की व्यवस्था के लिए 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जा रहे हैं, जिनका भूमि पूजन 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर करेंगे. शिप्रा किनारे अंगारेश्वर मंदिर प्रांगण में यह कार्यक्रम होगा. कलेक्टर ने इसको लेकर व्यवस्थाएं देखी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान से सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत नमामि क्षिप्रे परियोजना के तहत घाट निर्माण एवं अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे. उज्जैन क्षिप्रा नदी पर 778.91 करोड़ रुपए की लागत वाले ये निर्माण कार्य उज्जैन समेत धार, इंदौर और देवास जिले के भी हैं.

उज्जैन के लिए बड़ी सौगात तैयारी जल्दी करो

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंगलवार को अंगारेश्वर मंदिर पर पहुंचे. वहां उन्होंने अधीनस्थों से कहा कि महाकाल की नगरी के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है, सबसे जरूरी घाट निर्माण है, ऐसे में सारी तैयारियां जल्द की जाए. प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम है. उज्जैन में कार्यक्रम स्थल अंगारेश्वर मंदिर रहेगा. यहां जन प्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए. कलेक्टर रोशन सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक के अलावा निगम सभापति कलावती यादव, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, एसडीएम एल एन गर्ग सहित जलसंसाधन के अफसर मौजूद रहे.

यहां होंगे यह निर्माण

नमामि क्षिप्रे परियोजना इकाई उज्जैन के द्वारा क्षिप्रा नदी पर 8.71 करोड़ रुपए की लागत से किट्टोदाराव स्टॉप डैम तथा कान्ह नदी पर 5.74 करोड़ रुपए की लागत से पंथपिपलई स्टॉप डैम, 4.56 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुरा स्टॉप डैम, 6.24 करोड़ रूपए की लागत से गोठड़ा स्टॉप डैम, 5.06 करोड़ रूपए की लागत से पिपलियाराघौ क्रमांक 2 बैराज और 6.34 करोड़ रूपए की लागत से रामवासा क्रमांक 2 बैराज का निर्माण किया जाएगा.

मंत्री सिलावट ने दी जानकारी

क्षिप्रा नदी पर जल संसाधन विभाग देवास द्वारा 2.53 करोड़ रुपए की लागत से गाजनोद खेडा बैराज, 3.23 करोड़ रूपए की लागत से दखनाखेड़ी बैराज, 3.15 करोड़ रूपए की लागत से पटाड़ा बैराज कम कॉजवे, 3.79 करोड़ रुपए की लागत से रनायर बैराज, 4.73 करोड रुपए की लागत से टिगरियागोगा बैराज, 6.74 करोड रूपए की लागत से सिरोंज बैराज कम कॉजवे और 2.57 करोड़ रूपए की लागत से बरोदपिपलिया बैराज का निर्माण किया जाएगा. यह जानकारी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दी.

मरम्मत कार्य भी होंगे

नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा 1.39 करोड़ रुपए की लागत से कालियादेह स्टाप डैम का मरम्मत कार्य किया जाएगा. कान्ह नदी पर उज्जैन जिले में 5 बैराज एवं इंदौर जिले में 6 बैराज, इस प्रकार कुल 11 बैराजों का निर्माण किया जाएगा. इस प्रकार क्षिप्रा एवं कान्ह नदीं पर कुल 21 बैराजों/स्टाप डैम का निर्माण किया जाएगा.

आईएएस अधिकारियों पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज

▶ मामला संविदा इंजीनियर को नियम विरुद्ध भवन अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का

नव भारत न्यूज

इंदौर. लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के एक मामले में प्रदेश के दो आईएएस अधिकारियों सहित 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है. मामला उक्त अधिकारियों द्वारा संविदा इंजीनियर को नियम विरुद्ध योग्यता नहीं होने के बावजूद भवन अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का है.

लोकायुक्त पुलिस ने आईएएस और पूर्व नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह, संविदा यंत्री देवेश कोठारी तथा दो अन्य के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है. मामला इस प्रकार है कि स्मार्ट सिटी के कार्यो के लिए संविदा पर पदस्थ सिविल इंजिनियर को नगर निगम में नियमित भवन अधिकारी के पद की योग्यता नहीं होने के बाद भी पदस्थ किया गया. साथ ही विभिन्न प्रकार के अधिकार देकर उपकृत किया गया. वहीं इंजीनियर देवेश कोठारी ने संविदा सेवक होने के तथ्यों को छिपाकर भवन

अधिकारी कि हैसियत से लगभग लगभग 250 नक्शे पास लिए. डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृत नक्शे से अवैध रूप से धन अर्जित किया. झोन क्रमांक 13 पर भवन

अधिकारी की हैसियत से नगर पालिक निगम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत जाकर मौका निरीक्षण किया.

कोठारी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर निर्माणाधीन सैकड़ों भवनों और पहले बने सैकड़ों भवनों को अवैध निर्माण होने के सूचना-पत्र देकर से वसूली की गई. भ्रष्टाचार करने के कारण किसी भी भवन से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई. तत्कालीन आयुक्त हर्षिकासिंह तथा स्मार्ट सिटी सीईओ को संविदा सेवक होने की शिकायत करने के बाद भी देवेश कोठारी को भवन अधिकारी के पद पर पदस्थ रखकर उसके विरुद्ध जांच करने की कारवाई नही की गई. उक्त मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल और रवि गुरनानी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी. शिकायत में कौशल ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 467, 336, 340, 61(2) एवं पीपी एक्ट की धारा 13(1)(डी) तथा 13(2) अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया था. सभी प्रमाणों सहित शपथ-पत्र पर शिकायत लोकायुक्त मध्यप्रदेश को बीएनएस 2023 की धारा 173 में एफआईआर दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया था. प्रारंभिक जांच के बाद लोकायुक्त मध्यप्रदेश ने शिकायत पर प्रकरण क्रमांक 31/ई/ 2025 पंजीबद्ध किया है.

ब्लैक स्पॉट पर जाकर ट्रैफिक इंजीनियरिंग को समझें और कार्य करें : संभागायुक्त

▶ ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित दुर्घटना स्थल को लेकर समीक्षा बैठक

नव भारत न्यूज

इंदौर. जिले के ग्रामीण सड़कों पर कई जगह दुर्घटना स्थल (ब्लैक स्पॉट) चिन्हित है. उक्त ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग को मौके पर जाकर समझना होगा. आज संभागायुक्त कार्यालय में ब्लैक स्पॉट को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई.

आज संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर (ग्रामीण) जोन के ब्लैक स्पॉट की जानकारी एवं उनको खत्म करने के संबंध में ली. बैठक में संभागायुक्त सिंह ने इंदौर (ग्रामीण) अंतर्गत 91 चिन्हित ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट देख कर समीक्षा की. बैठक में संभागायुक्त सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदौर (ग्रामीण) जोन में सभी सड़कें फ्लायओवर, पुल-पुलिया आदि अच्छे बन रहे हैं. इससे सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों सहित नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल रही है. उक्त सुविधाओं के बावजूद इंदौर (ग्रामीण) जोन में सड़क हादसे हो रहे हैं. सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसी कार्ययोजना बनाएं, जिसमें ब्लैक स्पॉट की संख्या में कमी आए. कार्ययोजना शार्ट टर्म और लॉग टर्म दोनों प्रकार की हो सकती है. उदाहरण के तौर पर दुर्घटना स्थल पर कहीं रोड़ संकेतक, डिवायडर, बेरिकेट भी लगा सकते हैं. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, प्रशासन आदि विभाग समन्वय स्थापित उक्त दुर्घटना जोन पर कार्य करें. साथ ही निश्चित समयावधि में उसे पूरा भी करें. उक्त कार्य को मिशन मोड पर लेकर प्राथमिकता के साथ करें. अधिकारी ब्लैक स्पॉट पर जाकर देखें कि किस तरह की ट्रैफिक इंजीनियर की आवश्यकता है और उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है.

धार और खरगोन को लेकर अधिक चिंता

बैठक में सिंह ने धार और खरगोन जिले के ब्लैक स्पॉट पर सबसे अधिक चिंता व्यक्त की है. उक्त दोनों जिलों में सड़क हादसे अधिक हो रहे है. गांव की जो सड़क मुख्य मार्ग से मिलती है या कहीं घुमावदार मार्ग है, ऐसी जगह पर भी हादसे हो रहे है. ऐसी जगह और स्पॉट पर ध्यान देने की आवश्यकता है. बैठक में आईजी अनुराग, डीआईजी निमिष कुमार, संयुक्त आयुक्त विकास डी.एस. रणदा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक सुमेश बांझल, लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता सी.एस. खरत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाइयों और जिला अध्यक्ष पर जमीन पर कब्जे का केस दर्ज

नव भारत न्यूज

इंदौर. तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी, नाना पटवारी और कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर धोखाधड़ी और ज़मीन पर अवैध कब्ज़े का केस दर्ज किया है. आरोप है कि तीनों ने एक बुजुर्ग की इनामी ज़मीन पर ज़बरन कब्ज़ा कर कॉलोनी बनाना शुरू कर दी.

महावीर बाग निवासी 74 वर्षीय नरेंद्र मेहता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है. मेहता ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च को सदाशिव यादव 15-20 लोगों के साथ पहुंचे और ग्राम उमरी खेड़ी स्थित करीब साढ़े छह एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई. मेहता के अनुसार यह ज़मीन वर्ष 1939 में नारायण पलसीकर को इनाम स्वरूप दी गई थी, जिसे उनके पिता नवरतनमल जैन ने 1950 में खरीदा था. तभी से परिवार के पास जमीन का स्वामित्व है. शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए हैं. अब सोशल मीडिया पर कॉलोनी की बिक्री का प्रचार किया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मां-बेटे पर तलवार से हमला, पांच पर प्रकरण दर्ज

इंदौर. द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर पांच लोगों ने मां-बेटे पर हमला कर घायल कर दिया.

पुलिस के अनुसार घटना ऋषि पैलेस, आस्था ऑफिस चौराहा के पास हुई. फरियादी मनीष मालवीय ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर अनिल, अशोक, आरती, कुनाल और लक्ष्मीबाई इन्द्रे ने उनके घर के सामने आकर गाली-गलौज शुरू कर दी. मना करने पर अनिल ने तलवार से वार किया, जिससे मनीष के हाथ में चोट आई और खून बहने लगा. मनीष की मां पवनबाई ने बीचबचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई.

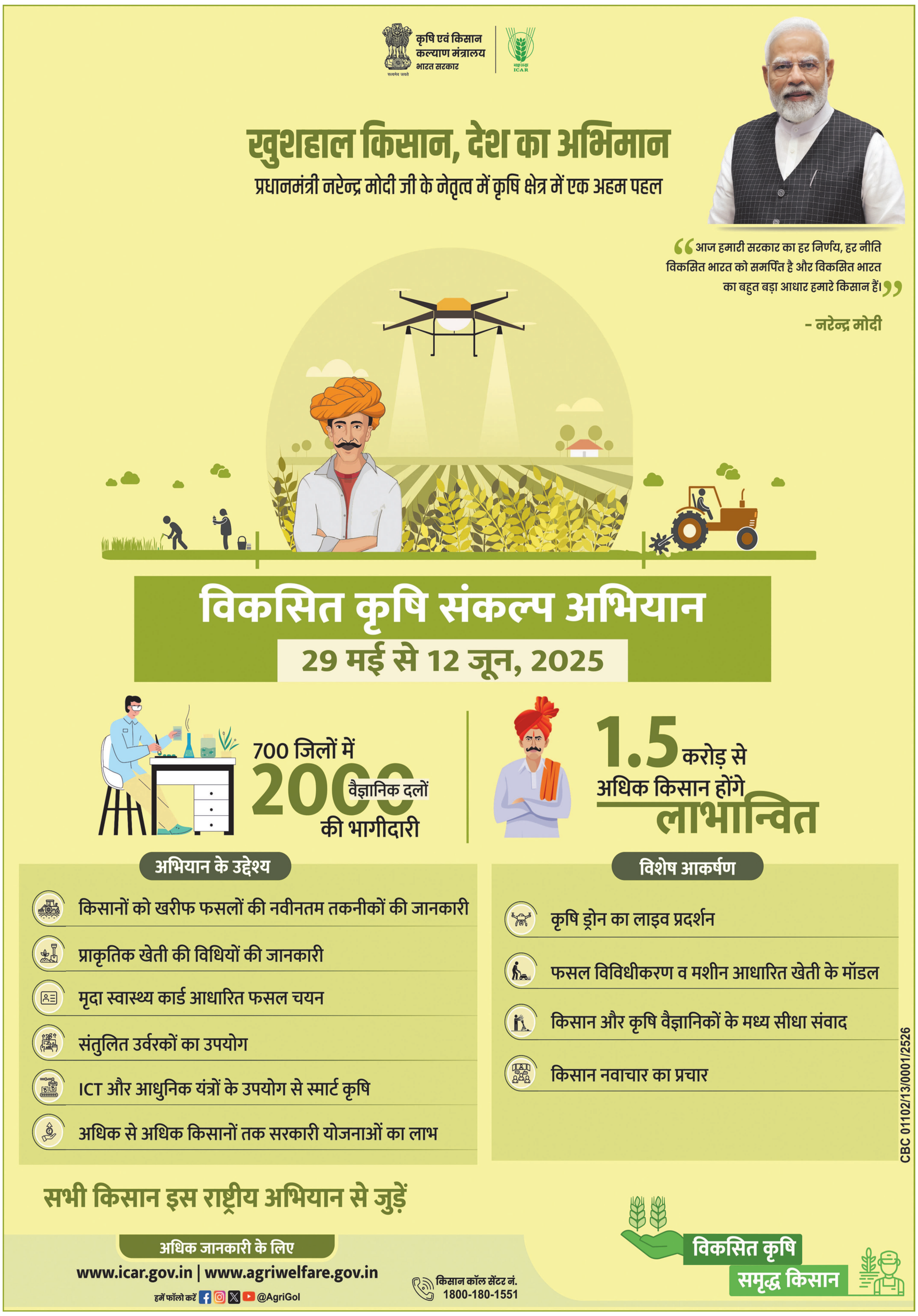

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60